अनुक्रमणिका

स.क्र.	आदेश का विषय	पृष्ठ
1.	बाह्य मूल्यांकन (एक्सटरनल असिसमेंट) के आधार पर कार्ययोजना का क्रियान्वयन	1
2.	चलित शिक्षकों (मोबाइल टीचर्स) का गठन	2
3.	नियमित तथा गुणवत्तायुक्त अध्यापन/शिक्षण हेतु विषयमान के अनुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था	3
4.	त्रैमासिक परीक्षाओं के विश्लेषण के आधार पर निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन	4
5.	प्राचार्य पद पर पदांकन के प्रस्ताव	5
6.	10 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करना	6
7.	गतवर्ष की अपेक्षा कम परीक्षा परिणाम वाले प्राचार्यों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित करना	7
8.	सी.डी. के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना	8
9.	शैक्षणिक समन्वयक की नियुक्ति	9
10.	लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई	10
11.	कम उपस्थिति के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रावधान	11
12.	हाईस्कूल की कक्षाओं में व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन कार्य	12
13.	छात्रों की उपस्थिति हेतु पालक शिक्षक सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन	13
14.	अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना	14
15.	समस्त संसाधनयुक्त विद्यालयों का विशेष निरीक्षण	15
16.	बोर्ड के पेटर्न पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं की स्थानीय परीक्षाओं का आयोजन	16
17.	तिमाही तथा छःमाही परीक्षा का वार्षिक परीक्षा में अधिभार	17
18.	विद्यालयों में गणवेश की अनिवार्यता	18
19.	विद्यालयों में योग शिक्षा	19
20.	विद्यालयों में विशेषज्ञ विद्वानों को निमंत्रण	20
21.	विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर श्रेणीकरण	21
22.	पालक शिक्षक संघ द्वारा शासकीय विद्यालयों में स्वाध्यायी छात्रों हेतु अध्ययन केन्द्र की स्थापना	22
23.	पालक शिक्षक संघ की नियमावली में आंशिक संशोधन	23-24
24.	अच्छे परीक्षा परिणाम लाने वाले प्राचार्यों का सम्मान	25

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरमाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक/विद्या/ई/1446 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,
समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–बाह्य मूल्यांकन (एक्सटरनल असिसमेंट) के आधार पर कार्ययोजना का क्रियान्वयन :–

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी बाह्य मूल्यांकन (एक्सटरनल असिसमेंट) दलों का जिलों में गठन किया जाये। यह सही है कि किसी भी कार्य योजना के क्रियान्वयन में फीडबैक की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फीडबैक के आधार पर क्रियान्वयन में आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं। अतः समिति की अनुशंसा के अनुसार फीडबैक प्राप्त करने हेतु जिलों में बाह्य मूल्यांकन (एक्सटरनल असिसमेंट) दलों का गठन किया जाना है। शिक्षण कार्य के संबंध में बाह्य मूल्यांकन (एक्सटरनल असिसमेंट) का तात्पर्य यह है कि किसी स्कूल विशेष में चल रही विशिष्ट योजना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये ताकि योजना के महत्व के आधार पर उसे अन्यत्र भी लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालय में कोई विशेष कमी है तो उसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाये ताकि उस विद्यालय के लिए पृथक् से रणनीति बनायी जा सके।

2/ शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने तथा परीक्षा परिणाम में अपेक्षित सुधार लाने की दृष्टि से गतवर्ष जिला स्तर पर विभिन्न विद्यालयों में लागू की जा रही कार्ययोजनाओं का स्कूलवार फीडबैक प्राप्त किया गया था तदनुसार अन्य विद्यालयों में कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया था। अनेक जिलों में यह देखने में आया था कि इन दलों के द्वारा निरीक्षण का कार्य किया जाने लगा था जबकि इसका उद्देश्य विल्कुल अलग था।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि इस हेतु जिला स्तर से कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों के ऐसे दलों का गठन करना सुनिश्चित करें जो फील्ड में जाकर आयोजित की जाने वाली कार्ययोजनाओं – निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन, त्रैमासिक परीक्षाओं का विश्लेषण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति कठिन विषयों की सी.डी. का उपयोग इत्यादि का मूल्यांकन कर स्कूलवार फीडबैक उपलब्ध करा सकें । प्राप्त फीडबैक के आधार पर पुनः स्कूलवार समीक्षा की जाये तथा जिले की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ तथा सशक्त बनाया जाये।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/विद्या/ई/1447 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक/विद्या/ई/1448 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– चलित शिक्षकों (मोबाइल टीचर्स) का गठन।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी जिलों में चलित शिक्षकों (मोबाइल टीचर्स) के दलों का गठन किया जाये। वस्तुतः विद्यालयों में नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु चलित शिक्षकों के दल (मोबाइल टीचर्स) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह व्यवस्था तब और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियमित शिक्षकों की कमी रहती है अथवा अतिथि शिक्षकों की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। जबकि शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए विद्यालय सभी आवश्यक सुविधायें /संसाधन उपलब्ध कराने को तत्पर है ऐसी स्थिति से निपटना निश्चित ही चुनौती पूर्ण कार्य है।

इसके लिए उपयुक्त होगा कि जिला अन्तर्गत कुछ चलित शिक्षकों के दल गठित करें जो उक्त प्रकार के चयनित विद्यालयों में चार – चार अथवा पांच–पांच दिन रुककर कठिन अंशों का अध्यापन सुनिश्चित करें । दलों का गठन इस प्रकार करें कि ऐसे दल विद्यालयों का माह में कम से कम दो बार भ्रमण कर सकें । इस प्रकार के दल में सेवानिवृत्त शिक्षकों का तथा अतिशेष शिक्षकों का उपयोग किया जा सकता है।

दल गठित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि दल में कठिन विषयों यथा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के शिक्षक अनिवार्यतः शामिल हों । इसके अन्तर्गत यह भी किया जा सकता है कि एक दल को पास–पास के दो स्कूलों का दायित्व एक बार में सौंपा जा सकता है । यह दल विद्यालय के टाइम टेबिल के अनुसार अध्यापन कार्य कर सकता है ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/विद्या/ई/1449 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1450 भोपाल,दिनांक 08. 09. 2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– नियमित तथा गुणवत्तायुक्त अध्यापन / शिक्षण हेतु विषयमान के अनुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था ।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करके दूर किया जाये। यह देखने में आया है कि अनेक विद्यालयों में विषयमान के अनुसार व्याख्याता / शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। इस कारण नियमित अध्यापन व्यवस्था तथा परीक्षा परिणाम अत्याधिक प्रभावित होता है अतः समिति की अनुशंसा को दृष्टि में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि ऐसे विद्यालयों में जहाँ विषयमान से शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यक है वहाँ पर पालक शिक्षक संघ के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विषयमान से स्नातक / स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के सहयोग से अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस हेतु सेवानिवृत्त शिक्षकों के अनुभव का लाभ भी लिया जा सकता है ।

2/ नियमित अध्यापन तथा परीक्षा परिणाम में सुधार लाने की पूरी जबावदारी संस्था प्राचार्य की है । अतः प्रत्येक संस्था प्राचार्य का यह दायित्व है कि संस्था में आवश्यकता का आकलन कर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करके नियमित अध्यापन सुनिश्चित किया जाये। जिन अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है उनके संबंध में पालक शिक्षक संघ की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

3/ अतिथि शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था शाला में उपलब्ध पालक शिक्षक कोष, विज्ञान, क्रीड़ा आदि स्थानीय निधि से की जा सकती है । जिन विद्यालयों में स्थानीय निधि में राशि कम है उन विद्यालयों हेतु आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्थानीय निधि से की जाना चाहिए ।

4/ यह ध्यान रखा जाये कि नियुक्त किये गये ऐसे अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1451 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462 021

दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651

ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक/विद्या/ई/1452 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः–त्रैमासिक परीक्षाओं के विश्लेषण के आधार पर निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन ।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी सभी विद्यालयों में त्रैमासिक परीक्षा का विश्लेषण अनिवार्य रूप से किया जाये तदनुसार अधिकाँश शिक्षण संस्थाओं में त्रैमासिक परीक्षाफल का विश्लेषण किया गया तथा इसके आधार पर निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन भी हुआ जिसके परिणाम आशातीत रहे थे।

2/ अतः समिति की अनुशंसा को दृष्टि में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक विद्यालय में वर्ष 2006–07 के शैक्षिक कैलेण्डर अनुसार त्रैमासिक परीक्षा, अर्ध्द वार्षिक परीक्षा समय पर ली जाये एवं प्रत्येक परीक्षा उपरान्त परीक्षा परिणाम की विश्लेषणात्मक समीक्षा की जाये ताकि कमजोर बच्चों को चिन्हित किया जा सके। विश्लेषण करते समय विषयवार विश्लेषण का मुख्यरूप से ध्यान रखा जाये ताकि किस विषय में बच्चे सर्वाधिक कमजोर हैं इसकी स्पष्ट जानकारी हो सके । इसी विश्लेषण के आधार पर छात्रों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाये । 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त छात्रों को ए श्रेणी में, 45 से 60 प्रतिशत के मध्य अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बी श्रेणी में, 33 से 45 प्रतिशत के मध्य अंक प्राप्त करने बाले छात्रों को सी श्रेणी में तथा 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डी श्रेणी में रखा जाये ।

3/ इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य छात्र के अधिगम स्तर का पता लगाकर उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना है क्योंकि एक ही कक्षा के छात्रों का समझ का स्तर भिन्न भिन्न होता है । कुछ बच्चे किसी विषय को तत्काल ग्रहण कर लेते है जबकि कुछ बच्चों को ग्रहण करने में समय लगता है । अतः त्रैमासिक परीक्षाफल विश्लेषण पश्चात कमजोर बच्चों का विषयवार चिन्हांकन कर निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। यह कक्षाएं रिपीटीशन कक्षाओं के रूप में नहीं लगायीं जायें अपितु जिन बिन्दुओं में बच्चों को कठिनाई महसूस होती है उनको आधार बनाकर ही कक्षाओं का आयोजन किया जाये ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/विद्या/ई/1453 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक/विद्या/ई/1454 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,
समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः–प्राचार्य पद पर पदांकन के प्रस्ताव।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि यह प्रयास किया जाये कि प्रदेश के सभी हाईस्कूलों में प्राचार्यों की पदस्थापना हो।

विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था के नियंत्रण प्राचार्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह बिन्दु विशेष रूप से उभरकर सामने आया है कि जिले के अनेक हाईस्कूलों में प्राचार्य का पद रिक्त होने के कारण शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त ढंग से सम्पादित नहीं हो रही है ।

2/ अतः समिति के अनुशंसा के अनुक्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि आपके जिलें में जिन विद्यालयों में प्राचार्य का पद रिक्त है वहाँ पर प्राचार्य हाईस्कूल के स्वीकृत रिक्त पदों पर स्वैच्छिक पदांकन के प्रस्ताव तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों हेतु प्रस्ताव एकल नस्ती में आयुक्त लोक शिक्षण को प्रस्तुत किये जाकर पदांकन व्यवस्था सुनिश्चित की जाये । यह प्रयास किया जाये कि जिले का कोई भी हाईस्कूल प्राचार्य विहीन नहीं रहे।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/विद्या/ई/1455 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1456 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– 10 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले प्राचार्यो को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करना

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 10 प्रतिशत से कम है उन विद्यालयों के प्राचार्यो को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जायें ताकि भविष्य में वे अच्छे परीक्षा परिणाम लाने हेतु सजग रहें। गतवर्ष कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं होने के कारण इसकी गहन समीक्षा की गई थी और आयुक्त लोक शिक्षण की प्राचार्यों से सीधी बात कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावार चर्चा, बैठकों का आयोजन तथा यथा संभव समस्याओं का समाधान भी किया गया था ।

इसके उपरान्त भी प्रदेश के अनेक विद्यालय ऐसे है जिनका वर्ष 2006 का परीक्षा परिणाम 10 प्रतिशत से भी कम रहा है अतः समिति की अनुशंसा को दृष्टिगत कर यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे स्कूल जिनका परीक्षाफल वर्ष 2005–06 में शून्य से 10 प्रतिशत रहा है उन प्राचार्यो के विरूद्ध कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने हेतु संचालनालय को एक सप्ताह में विद्यालयों के नाम सहित प्राचार्यो के नाम की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1457 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लो   शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष–   0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1458   भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– गतवर्ष की अपेक्षा कम परीक्षा परिणाम वाले प्राचार्यों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित करना

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम गतवर्ष की अपेक्षा कम रहा है उन विद्यालयों के प्राचार्यों के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की जाये। गतवर्ष कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं होने के कारण इसकी गहन समीक्षा की गई थी और आयुक्त लोक शिक्षण की प्राचार्यो से सीधी बात कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावार चर्चा, बैठकों का आयोजन तथा यथा संभव समस्याओं का समाधान भी किया गया था । इसके उपरांत भी प्रदेश के अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनका वर्ष 2006 का परीक्षा परिणाम वर्ष 2005 की तुलना में कम हो गया है जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः समिति द्वारा की गयी एतदविषयक अनुशंसा के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि मा.शि. मण्डल की वर्ष 2006 की जिन संस्थाओं का हाईस्कूल का परीक्षाफल वर्ष 2005 की अपेक्षा कम रहा है ऐसे प्राचार्यो के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी किये जायें । जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे प्राचार्यों के नाम, संस्था के नाम सहित तथा अपने अभिमत के साथ एकल नस्ती में प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि आरोप पत्र जारी हो सकें तथा गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1459   भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक/विद्या/ई/1460 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– सी.डी. के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना।

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी सी. डी. के माध्यम से विद्यालयों में अध्यापन कराया जाये तथा प्रयास यह किया जाये कि कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के सभी विषयों की सी. डी. तैयार करायी जायें। उल्लेखनीय है कि गतवर्ष चर्चा के दौरान यह महत्वपूर्ण बिन्दु उभकर सामने आया था कि अनेक जिलों में विषयमान के अनुसार योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण परीक्षा परिणाम अत्यधिक प्रभावित होता है। इसके विकल्प के रूप में यह सुझाव सामने आया था कि यदि कठिन विषयों की योग्य शिक्षकों से सी.डी. तैयार कराकर स्कूलों को सुलभ करायी जाये तो कम व्यय में अधिक उपयोगी शिक्षण दिया जा सकेगा। उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर संचालनालय स्तर से कठिन विषयों–गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषय की सी.डी. निर्माण का कार्य सम्पादित किया गया था। यह व्यवस्था अत्यन्त प्रभावी पायी गयी थी।

2/ अतः इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं के सभी विषयों की सी. डी. तैयार कराकर विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाये ताकि ऐसे विद्यालय जिनमें शिक्षकों का अभाव है वहां आवश्यकतानुसार कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं के सभी विषयों की सी.डी. के माध्यम से कक्षा शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इस हेतु सी. डी., सी.डी. प्लेयर, टी.वी. इन्वर्टर आदि का क्रय विज्ञान निधि से करने हेतु संस्था प्राचार्य अधिकृत होंगे।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था प्राचार्य आवश्यकतानुरूप सी. डी. के माध्यम से विषयवार नियमित अध्यापन सुनिश्चित करें। निदानात्मक शिक्षण अथवा कठिन अवधारणाओं को सुस्पष्ट करने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/विद्या/ई/1461 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1462 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– शैक्षणिक समन्वय की नियुक्ति।

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी जिले की शैक्षणिक कार्ययोजना के व्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु जिले से किसी अधिकारी को नामांकित किया जाये। अतः समिति की अनुशंसा के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जिले में शैक्षणिक समन्वयक के रूप में सहायक संचालक / योजना अधिकारी आदि को अधिकृत किया जाये।

2/ यह अधिकारी जिला अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना तथा जिले की कार्ययोजना प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1463 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1464 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– लापरवाह शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि जो शिक्षक विद्यालयों में निर्देशानुसार कार्य नहीं करते हैं उनके विरुद्ध प्राचार्यों द्वारा कार्यवाही की जाये। प्रायः यह देखने में आया है कि विद्यालयों के शिक्षक प्राचार्य की अपेक्षानुरूप दायित्व का सम्पादन नहीं करते हैं तथा जानबूझकर अप्रिय स्थिति निर्मित करते हैं इससे विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है तथा छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो निश्चित ही शोभनीय नहीं है।

2/ अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन स्कूलों में व्याख्याता / शिक्षक / शिक्षाकर्मी लापरवाह हैं (ऐसे शिक्षक जो प्रायः विलम्ब से आते हैं / समय के पहले विद्यालय से चल जाते हैं / डेली डायरी समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं / अतिरिक्त कक्षाओं में सहयोग नहीं करते हैं आदि) उन्हें तत्काल संस्था प्राचार्य द्वारा नोटिस दिया जाये । किस संस्था प्राचार्य ने कितने शिक्षकों को नोटिस दिया है इसकी समीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बैठक में की जाये।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1465 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1466 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– कम उपस्थिति के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रावधान।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गतवर्ष की भाँति प्रयास किये जायें। उल्लेखनीय है कि गतवर्ष विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये गये थे तथा जो बच्चे समझाइश देने के बाद भी विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे उन्हें माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रावधान के अनुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के कारण स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल कराया गया था। अतः इस वर्ष प्रारम्भ से ही छात्रों को सचेत किया जाये ताकि विद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति रह सके।

उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्देशानुसार हाईस्कूल / उमावि के अध्ययनरत छात्र यदि निर्धारित उपस्थिति में कमी के कारण नियमित परीक्षार्थी की पात्रता से वंचित हो रहे हों तो वे मण्डल विनियन क्रमांक 95 के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क प्रति छात्र 20 / रूपये भुगतान करते हुए स्वाध्यायी छात्र की हैसियत से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रावधान से भी सभी प्राचार्यों को अवगत कराया जाये ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1467 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1468 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–हाईस्कूल की कक्षाओं में व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन कार्य।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि व्याख्याताओं से हाईस्कूलों की कक्षाओं में अध्यापन कार्य कराया जाये। अनेक प्राचार्यों द्वारा समय समय पर यह अवगत कराया गया है कि विद्यालयों के व्याख्याता हाईस्कूल की कक्षाओं में अध्यापन कार्य नहीं करते हैं तथा निदानात्मक कक्षाओं में भी सहयोग नहीं करते हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

2/ अतः समिति की अनुशंसा के अनुक्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि हायर सेकेण्डरी स्कूलों के व्याख्याताओं द्वारा अनिवार्यरूप से हाईस्कूल की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करवाया जाये ताकि हाईस्कूल की छात्र–छात्राएँ उच्च योग्यता प्राप्त व्याख्याताओं के ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। व्याख्याताओं का उपयोग निदानात्मक कक्षाओं में भी किया जाये । इसके उपरान्त भी यदि कोई व्याख्याता हाईस्कूल की कक्षाएं पढ़ाने से इंकार करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाये ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1469 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

भोपाल,दिनांक 08.09.2006

क्रमांक / विद्या / ई / 1472

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः– अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना :–

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि जिन विद्यालयों में कक्षा 10वीं में 100 से अधिक छात्र हैं उन विद्यालयों के प्राचार्यों को विशेष प्रयत्न करने हेतु अभिप्रेरित किया जाये। यह अनुभव किया गया है कि अनेक विद्यालयों में कक्षा 10वीं में छात्र संख्या 100 से अधिक है यदि इन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम कम रहता है तो इससे सम्पूर्ण जिले का परीक्षा परिणाम ज्यादा प्रभावित होता है। अतः जिला अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 10 वीं की कक्षाओं में 100 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं उन विद्यालयों के प्राचार्यों को सर्वाधिक प्रयत्न करना आवश्यक है क्योंकि ऐसे विद्यालय परीक्षा परिणाम पर व्यापक प्रभाव डालेंगे।

एतदर्थ इन विद्यालयों में विषयवार अध्यापन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायें तथा समय समय पर ऐसे विद्यालयों का विशेष निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जाये।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 08.09.2006

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1473
प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1474 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–समस्त संसाधनयुक्त विद्यालयों का विशेष निरीक्षण

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि सभी संसाधनों से युक्त विद्यालयों का परीक्षा परिणाम भी श्रेष्ठ रहे इसके लिए विशेष प्रयास किये जायें। प्रत्येक जिले में अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें समस्त मानवीय तथा भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं इसके उपरांत भी उनका परीक्षाफल अपेक्षा से अत्यधिक कम रहता है। यह स्थिति नगरीय क्षेत्रों में प्रायः देखने को मिलती है।

2/ अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि समस्त संसाधन होने के उपरांत भी उनका परीक्षाफल कम रहता है तो ऐसे विद्यालयों के प्राचार्यों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ऐसे विद्यालयों का परीक्षफल शत प्रतिशत हो इस हेतु प्रभावी पहल की जाये।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1475 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1476 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–बोर्ड के पेटर्न पर कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं की स्थानीय परीक्षाओं का आयोजन।

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं की परीक्षाएँ बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जायें। समिति की अनुशंसा के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर की शिक्षा को और अधिक गुणात्मक एवं परिणाममूलक बनाने के उद्देश्य से गतवर्ष की भांति कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं की परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड पेटर्न पर किया जायेगा।

2/ अतः विद्यार्थियों को पूर्व से ही इस संबंध में अवगत कराया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्तानुसार की जा रही व्यवस्था का निश्चित समयावधि में विधिवत संचालन हो और सभी स्तरों पर आवश्यक समन्वय के साथ कार्य सम्पादित हो ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1477 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1478 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– तिमाही तथा छःमाही परीक्षा का वार्षिक परीक्षा में अधिभार

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि प्रदेश की वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कक्षा 9 वीं तथा 11 वीं में तिमाही तथा छःमाही परीक्षा का वार्षिक परीक्षा में कोई अधिभार नहीं होने से इन परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी भी इन परीक्षा में प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक विद्यार्थी विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते इसकारण उनका पाठ्यक्रम भी परीक्षाओं के अनुरूप पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसे विद्यार्थी जब सीधे वार्षिक परीक्षा में बैठते हैं तो प्रायः अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और स्कूल के पूरे परीक्षा परिणाम को प्रभावित करते हैं। चूँकि इन परीक्षाओं के वार्षिक परीक्षा में कोई अधिभार की व्यवस्था नहीं है अतः जो विद्यार्थी शामिल भी होते हैं तो वे भी पूर्ण तैयारी एवं उत्साह से भाग नहीं लेते। यह भी देखने में आया है कि अनेक विद्यालयों द्वारा भी इनका रिकार्ड व्यवस्थित रूप से नहीं रखा जाता न ही इस परीक्षा परिणाम के आधार पर वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार की जाती है।

अतः समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षण सत्र 2006–07 की कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं की वार्षिक परीक्षा में तिमाही परीक्षा का 10 प्रतिशत तथा छःमाही परीक्षा का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा। वार्षिक परीक्षा के अंक 80 प्रतिशत होंगे।

2/ कक्षा 10 वीं तथा 12 वीं के लिये तिमाही तथा छःमाही परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त कक्षा 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा अथवा यदि दोनों परीक्षाओं में पृथक पृथक उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो दोनों परीक्षाओं को मिलाकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1479 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1480 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–विद्यालयों में गणवेश की अनिवार्यता।

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों में समानता की भावना विकसित करने हेतु विद्यालयों में गणवेश की अनिवार्यता लागू की जाये। प्रायः देखने में आता है कि अनेक विद्यालयों में विद्यार्थी संस्था की निर्धारित गणवेश में नहीं आते हैं। फलस्वरूप विद्यालयों में एक अनुकूल शैक्षणिक वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता है।

2/ अतः समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को गणवेश में आना अनिवार्य किया जाये । इसके परिपालन हेतु विद्यालय में समय–समय पर आयोजित होने वाली पालक शिक्षक संघ की बैठक में चर्चा की जा सकती है तथा जो बच्चे गणवेश में नहीं आते हैं उनके अभिभावक को बच्चे को गणवेश में भेजने हेतु अभिप्रेरित किया जा सकता है।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / पी / 1481 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1482 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–विद्यालयों में योग शिक्षा

–0–

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि विद्यालयों में योग गतिविधियाँ आयोजित की जायें। वर्तमान में योग शिक्षा की उपादेयता असंदिग्ध है यद्यपि राज्य स्तर से शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों योग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है किन्तु विद्यालयों में इसका उपयोग व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है। अतः समिति की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए जिलान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाये कि :–

- विद्यालयों में प्रार्थना के समय योग गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से रखी जायें। यदि संभव हो तो एक पीरियड भी रखा जा सकता है।
- विद्यालयों में योग की गतिविधियों का संचालन विद्यालय की क्रीड़ा निधि से किया जाये ।
- जिन विद्यालयों में योग प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हो उन्हें शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा प्रशिक्षित जिलों में पदस्थ शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाये ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1483 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक/विद्या/ई/1484 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–विद्यालयों में विशेषज्ञ विद्वानों को निमंत्रण।

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि विद्यालयों में समय समय पर विषय के विशेषज्ञ विद्वानों को आमंत्रित किया जाये। प्रायः यह अनुभव किया गया है कि बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि पाठ्यपुस्तकों से भी बालक विभिन्न सामाजिक पहलुओं से परिचित हो जाते हैं तथापि अनेक व्यावहारिक पहलू ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अन्य माध्यमों की आवश्यकता होती है।

2/ अतः समिति की अनुशंसा के अनुक्रम में यह प्रयास किया जाये कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञ विद्वानों को विद्यालयों में समय–समय पर आमंत्रित किया जाये । इसके अन्तर्गत पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.एम. डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस निरीक्षक, कॉलेज के विभिन्न विषयों के प्राध्यापक तथा अन्य स्थानीय विशिष्ट विद्वानों को आमंत्रित किया जा सकता है। ये विशिष्ट विद्वान अपने अपने क्षेत्र के बारे में व्यावहारिक ज्ञान छात्रों को देंगे।

3/ इसप्रकार का आयोजन 1 – 2 घण्टे के लिए महीने में एक दिन रखा जा सकता है।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/विद्या/ई/1485 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1488 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर श्रेणीकरण

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि प्रत्येक जिले के विद्यालयों का उनमें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर श्रेणीकरण किया जाये क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि अनेक विद्यालयों में संसाधनों की अत्यधिक कमी है जबकि कुछ विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं । यदि विद्यालयों के संसाधनों के संबंध में समेकित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध हो तो निरीक्षण के दौरान अपेक्षित विद्यालयों को चिन्हित किया जा सकता है तथा समय समय पर राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से कम संसाधन वाले विद्यालयों को लाभान्वित किया जा सकता है। अतः समिति की अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जिले के सभी हाईस्कूल / हायरसेकेण्ड्री स्कूलों को ए. बी. सी. तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाये।

- **ए श्रेणी** :– ए श्रेणी में वे विद्यालय शामिल होंगे जिनमें स्टॉफ, भवन, खेलकूद आदि की सभी निर्धारित सुविधाएँ हों।
- **बी श्रेणी** :– बी श्रेणी में वे विद्यालय शामिल होंगे जिनके पास भवन तथा अन्य अधोसंरचना की सुविधा हो लेकिन विषयमान के अनुसार निर्धारित संख्या में शिक्षक नहीं हों।
- **सी श्रेणी** :– ए एवं बी श्रेणी में जो विद्यालय नहीं आयेंगे वे सी श्रेणी में होंगे।

विद्यालयों के वर्गीकरण के लिए प्रपत्र पृथक् से निर्धारित किया जा रहा है उसके अनुसार विद्यालय की श्रेणी का वर्गीकरण करें और भविष्य में सुधार लाने का प्रयास करें।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1489 भोपाल, दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1490 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– पालक शिक्षक संघ द्वारा शासकीय विद्यालयों में स्वाध्यायी छात्रों हेतु अध्ययन केन्द्र की स्थापना।

विषयान्तर्गत प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि लगभग सभी गांवों में अनेक बच्चे स्वाध्यायी रूप से परीक्षाओं में शामिल होते हैं अतः ऐसे बच्चों के लिए शासकीय विद्यालयों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाये। यह सही है कि प्रत्येक नगर एवं गाँव में अनेक बच्चे ऐसे हैं जो नियमित रूप से पढ़ाई जारी नहीं रख सकते तथा स्वाध्यायी रूप से परीक्षा में बैठना चाहती हैं उनके व्यवस्थित अध्ययन के लिए समिति की अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय शिक्षक पालक संघ के द्वारा शासकीय विद्यालयों में विशेष अध्ययन केन्द्रों का संचालन किया जाये तथा इसका समन्वय वहाँ के शासकीय विद्यालय के प्राचार्य करेंगे। शिक्षकों की व्यवस्था भी शिक्षक पालक संघ के द्वारा की जाये तथा शिक्षण व्यवस्था हेतु आवश्यक राशि का निर्धारण भी पालक शिक्षक संघ के द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

2/ इस व्यवस्था से स्वाध्यायी रूप से बैठने वाले छात्रों को नियमित छात्रों की भाँति अध्ययन के अवसर सुलभ हो सकेंगे तथा वे पाठ्यक्रम में समागत कठिन अंशों का निराकरण कर सकेंगे। इसप्रकार की व्यवस्था से बच्चे प्रत्यक्ष ज्ञान से लाभान्वित हो सकेंगे।

3/ प्रयास यह किया जाये कि जिला अन्तर्गत हाईस्कूल / हायरसेकेण्ड्री स्कूलों में इसप्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जाये कि अध्ययन केन्द्र की इस व्यवस्था से स्कूल का सामान्य शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / पी / 1491 भोपाल, दिनांक 08.09.2006

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1492 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– पालक शिक्षक संघ की नियमावली में आंशिक संशोधन :–

स्कूलों में पालक शिक्षक संघ गठित करने के निर्देश हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से गठित कार्ययोजना समिति ने यह अनुशंसा की है कि पालक शिक्षक संघ की नियमावली के बिन्दु 05 एवं 07 में में आंशिक संशोधन किये जाने की महती आवश्यकता है। समिति की अनुशंसा का राज्यशासन द्वारा भी अनुमोदन किया गया है।

वर्तमान में पालक शिक्षक संघ की नियमावली के बिन्दु 05 में प्रथम पैरा में निम्नानुसार प्रावधान है:–

(5) पालक शिक्षक संघ का गठन :

साधारण सभा :

"शाला में नामांकित सभी बच्चों के माता–पिता / अभिभावक / संरक्षक एवं शाला के समस्त शिक्षक पालक शिक्षक संघ के सदस्य होंगे। पालक शिक्षक संघ का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा। संघ की प्रथम बैठक में सदस्यगण पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करने में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उनमें से एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का हो तथा उनमें से एक महिला अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी तथा शैक्षणिक योग्यता हायरसेकेण्ड्री कक्षा उत्तीर्ण तथा महिला होने की स्थिति में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पालक शिक्षक संघ के सचिव के रिश्तेदार का निर्वाचन अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के लिए नहीं किया जा सकेगा। संस्था प्रधान पालक शिक्षक संघ का सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष होगा।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्नानुसार पैरा प्रतिष्ठापित किया जाता है:–

"शाला में नामांकित सभी बच्चों के माता–पिता / अभिभावक / संरक्षक एवं शाला के समस्त शिक्षक पालक शिक्षक संघ के सदस्य होंगे। पालक शिक्षक संघ का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा। संघ की प्रथम बैठक में सदस्यगण पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करने में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उनमें से एक

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का हो तथा उनमें से एक महिला अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं की कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र के पालक को ही अध्यक्ष के चयन के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा कन्या स्कूलों में शिक्षक पालक संघ में अध्यक्ष पद हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होगी। पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी तथा शैक्षणिक योग्यता हायरसेकेण्ड्री कक्षा उत्तीर्ण तथा महिला होने की स्थिति में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पालक शिक्षक संघ के सचिव के रिश्तेदार का निर्वाचन अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के लिए नहीं किया जा सकेगा। संस्था प्रधान पालक शिक्षक संघ का सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष होगा।"

इस प्रतिष्ठापन से पूर्व के प्रावधान में यह अन्तर आ गया है कि अब केवल कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं की कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र के पालक को ही अध्यक्ष के चयन के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा कन्या स्कूलों में शिक्षक पालक संघ में अध्यक्ष पद हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होगी।

इसीप्रकार वर्तमान में पालक शिक्षक संघ की नियमावली के बिन्दु 07 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

(7) कार्यकाल ::

"साधारण सभा/कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। उचित कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई कार्यकारिणी समिति का नियमानुसार गठन नहीं हो जाता, पूर्व कार्यकारिणी समिति कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करवाना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दो सेवावधि से अधिक सेवा नहीं कर सकेंगे।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्नानुसार पैरा प्रतिष्ठापित किया जाता है:-

"साधारण सभा/कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। उचित कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई कार्यकारिणी समिति का नियमानुसार गठन नहीं हो जाता, पूर्व कार्यकारिणी समिति कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करवाना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एक सेवावधि से अधिक सेवा नहीं कर सकेंगे।"

इस प्रतिष्ठापन से पूर्व के प्रावधान में यह अन्तर आ गया है कि साधारण सभा/कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एक सेवावधि से अधिक सेवा नहीं कर सकेंगे।

भविष्य में होने वाले पालक शिक्षक संघ का गठन उपर्युक्त संशोधन के अनुसार किया जाये।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/विद्या/ई/1493 भोपाल, दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / ई / 1486 भोपाल,दिनांक 08.09.2006

प्रति,

समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–अच्छे परीक्षा परिणाम लाने वाले प्राचार्यों का सम्मान।

गतवर्ष हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने हेतु हमारे प्राचार्यों द्वारा विशेष प्रयास किये गये थे फलस्वरूप परीक्षाफल में अपेक्षित वृद्धि भी हुई है। एतदर्थ मैं प्राचार्यों को बधाई देता हूँ।

2/ यह निर्णय लिया गया है कि जिन विद्यालयों का कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से अधिक रहा है अथवा जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम वर्ष 2004–05 की तुलना में 2005–06 में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है किन्तु 50 प्रतिशत से अधिक है ऐसे समस्त विद्यालयों के प्राचार्यों को सीधी बात कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जायेगा । यह ध्यान रखा जाये कि परीक्षा परिणाम की गणना करते समय पूरक परीक्षा के परीक्षा परिणाम को शामिल नहीं किया जायेगा ।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि जिले में जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम उक्तानुसार रहा है उन विद्यालयों की जानकारी तथा जिन प्राचार्य के समय में उक्तानुसार वृद्धि दर्ज की गई है उन प्राचार्य का नाम 30 सितम्बर 2006 तक संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(एल.एस.बघेल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / विद्या / ई / 1487 भोपाल,दिनांक 08.09.2006
प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश